


कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::

बबीता जैन व्याख्याता (अर्थशास्त्र), राबाउमावि बीगोद, भीलवाडा को दिनांक 11.05.2018 से 28.06.2018 तक विदेश गमन यु0एस0ए0 जाने के लिये वीजा बनाने के हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं 49 दिन का अवकाश एतद् द्वारा निम्नांकित शर्तों के आधार पर स्वीकृत किया जाता है:-

1. उक्त कार्मिक विदेश में स्वीकृत अवकाश से अधिक नहीं ठहरेंगे ।
2. उक्त कार्मिक का एक बार स्वीकृत अवकाश आगे नहीं बढ़ाया जायेगा ।
3. विदेश से भिजवाये गये त्याग - पत्र को स्वीकार नहीं किया जावेगा ।
4. कार्मिक विदेश में सेवा नियोजन का कार्य नहीं करेगा ।
5. उक्त यात्रा का समस्त व्यय कार्मिक स्वयं के स्तर पर वहन करेगा ।
6. कार्मिक बिना विशिष्ट अनुमति के कोई अध्ययन नहीं करेगा ।



(नथमल डिलेल)

आई.ए.एस

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,


राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/मा/संस्था/सी-5/विदेश स्वीकृति/2018

दिनांक: 4/05/2018

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) भीलवाडा
2. प्रधानाचार्य, राबाउमावि बीगोद, भीलवाडा
3. संबंधित कार्मिक बबीता जैन व्याख्याता (अर्थशास्त्र), राबाउमावि बीगोद, भीलवाडा
4. निजी/रक्षित पत्रावली ।
5. सिस्टम एनालिसिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::

उबेदुल्लाह गाजी खान व्याख्याता (उर्दू), डाईट टॉक को दिनांक 21.05.2018 से 21.06.2018 तक विदेश गमन सुउदी अरबिया जाने के लिये वीजा बनाने के हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं 32 दिन का अवकाश एतद् द्वारा निम्नांकित शर्तों के आधार पर स्वीकृत किया जाता है:-

1. उक्त कार्मिक विदेश में स्वीकृत अवकाश से अधिक नहीं ठहरेंगे ।
2. उक्त कार्मिक का एक बार स्वीकृत अवकाश आगे नहीं बढ़ाया जायेगा ।
3. विदेश से भिजवाये गये त्याग - पत्र को स्वीकार नहीं किया जावेगा ।
4. कार्मिक विदेश में सेवा नियोजन का कार्य नहीं करेगा ।
5. उक्त यात्रा का समस्त व्यय कार्मिक स्वयं के स्तर पर वहन करेगा ।
6. कार्मिक बिना विशिष्ट अनुमति के कोई अध्ययन नहीं करेगा ।



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,


राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/मा/संस्था/सी-5/विदेश स्वीकृति/2018

दिनांक: 21/05/2018

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) टोंक
2. प्रधानाचार्य, डाईट टोंक
3. संबंधित कार्मिक उबेदुल्लाह गाजी खान व्याख्याता (उर्दू), डाईट टोंक
4. निजी/रक्षित पत्रावली ।
5. सिस्टम एनालिसिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर